

ओआरजी-2017-18-000118

दिनांक 08 जुलाई 2024

**जैविक उत्पादों के लिए भारत और ताइवान के बीच पारस्परिक मान्यता समझौते (एमआरए) का
कार्यान्वयन**

हम आपको सहर्ष सूचित करते हैं कि भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता (एमआरए) **8 जुलाई 2024 से कार्यान्वयित** हो गया है।

एमआरए के अंतर्गत जैविक उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया संलग्न है।

सभी प्रमाणीकरण निकायों एवं संचालकों को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि ताइवान को निर्यात किए जाने वाले उत्पाद व्यवस्था-क्षेत्र में हों और प्रक्रिया के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करते हों, जिसमें एनपीओपी आवश्यकताओं का अनुपालन और प्रक्रिया के परिशिष्ट-1 में उल्लिखित विशेष प्रबंधन उपाय शामिल हैं।

(अभिषेक देव)

अध्यक्ष